

मध्य प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)विभाग
मंत्रालय
// आदेश //


भोपाल दिनांक 24 जुलाई, 2010

क्रमांक एफ 5-11/2008/बी-3/दो, राज्य शासन एतद् द्वारा पंचायत चुनाव 2010 एवं आगामी सभी चुनावों में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात कोटवारों को मानदेय का भुगतान मतदान दल में शामिल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान अवधि के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मानदेय का भुगतान मतदान डियुटी हेतु जिला मुख्यालय/वितरण केन्द्र से रवानगी से लेकर जिला मुख्यालय/संग्रहण केन्द्र पर वापसी की अवधि के लिए किया जायेगा।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओओ कं 621/958/ब-8 /चार,/10,दि 20.7.10 के संदर्भ में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिल कुमार)
अपर सचिव


म०प्र० शासन गृह विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5-11/2008/बी-3/दो,

भोपाल दिनांक 24 जुलाई, 2010

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल,
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म०प्र० भोपाल।
3. सचिव, म०प्र० शासन, वित्त विभाग, ब-8 मंत्रालय, की ओर उनकी टीप यूओओ कं 621/958/ब-8/चार,/10,दि 20.7.10 के संदर्भ में,
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म०प्र०, ग्वालियर,
5. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल,
6. समस्त कमिश्नर/समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन कार्यालय,
7. समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक,
8. गार्ड फाईल।


अपर सचिव

म०प्र० शासन गृह विभाग